न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 15/2017

अपीलान्ट

बंशीलाल पुत्र रामाराम जाति मेघवाल निवासी–सिन्नी तहसील लूणी जिला जोधपुर।

ब ना म

रेस्पोडेन्ट

भीखाराम पुत्र रामाराम जाति मेघवाल निवासी–सिन्नी तहसील लूणी जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 खिलाफ आझा दिनांक 12.04.2017 जो तहसीलदार (भू.अ.) लूणी द्वारा क्रमांक–भू0अ0/विभाजन/2017/ 1144 दिनांक 12.04.2017 विभाजन प्रस्ताव दिये जाने के बाद रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी को सुने बगैर गांव शुभदण्ड के खसरा नं 161 रकबा 37.16 बीघा का विभाजन प्रस्ताव स्वंय निरस्त कर दिया।

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री चेतन प्रकाश सोनी उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री बी0आर0 चौधरी उपस्थित।

आदेश

दिनांकः 29.01.2018

अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 225 खिलाफ आझा दिनाकं 12.04.2017 जो तहसीलदार (भू.अ.) लूणी द्वारा क्रमांक–भू0अ0/विभाजन/2017/ 1144 दिनांक 12.04.2017 विभाजन प्रस्ताव दिये जाने के बाद रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी को सुने बगैर गांव शुभदण्ड के खसरा नं 161 रकबा 37.16 बीघा का विभाजन प्रस्ताव स्वंय निरस्त कर दिया के विरूद्व पेश की है जिसके संक्षिप्त इस प्रकार है कि पक्षकारन ने दिनांक 14.01.2017 को तहसीलदार लूणी के समक्ष इकरारनामा बाबत् बंटवारा तीनों पक्षकारों की लिखित सहमति से प्रस्तुत करते हुए यह बताया कि ग्राम शुभदण्ड तहसील लूणी में भीखाराम, घेवरराम, बंशीलाल पिता रामाराम जाति मेघवाल के नाम संयुक्त कृषि भूमि खसरा नं 161 रकबा 37.16 बीघा आयी हुई है। तीनों पक्षकारों ने आपसी सहमति से मौके पर बंटवारा कर लिया और बंटवारा अनुसार कब्जा और काबिज है। उक्त बंटवारा आपसी सहमति से किया गया। इस बंटवारे पर सभी पक्षकारो के हस्ताक्षर किये हुए है। लेकिन रेस्पोडेन्ट भीखाराम ने दिनांक 10.04.2017 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह बताया कि दिनांक 24.01.2017 को पेश किया गया नजरी नक्शा एवं आपसी सहमति से बंटवारे पर उसके हस्ताक्षर गुमराह करके करवाये गये थे इसलिए

बंटवारा स्वीकृत के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे। इस प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी को सुने बगैर तहसीलदार,लूणी ने विभाजन प्रस्ताव को विड्रो करते हुए खारिज करने का आदेश पारित कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुतकरने पर इससे पंजीबद्व कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री बी.आर. चौधरी ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया। इस प्रकरण से संबंधित मूल बंटवारा प्रार्थना पत्र तहसीलदार लूणी से प्राप्त किया गया। प्रकरण में उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 10.01.2018 को सुनी जाकर पत्रावली निर्णय हेतु रखी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री चेतनप्रकाश शर्मा ने अपनी बहस शुरू करते हुए प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट ने ग्राम शुभदण्ड के खसरा नं 161 का आपसी सहमति से बंटवारा पेश किया गया जिसके साथ नजरी नक्शा स्वंय के हस्ताक्षर पेश किया गया। जिसमें रेस्पोडेन्ट ने अपनी सहमति से अपना फोटो बंटवारा पर लगाकर हस्ताक्षर किये गये। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की पूर्ण सहमति थी और गुमराह करने की कोई बात नहीं है।

अपीलार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि तहसीलदार लूणी ने रेस्पोडेन्ट द्वारा बिना शपथ पत्र के प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र को रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सही मानने में कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश कायम रखने योग्य नहीं है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार ने अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई नोटिस व सुनवाई का अवसर नहीं दिया न ही जवाब पेश करने हेतु समय दिया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्वान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश पारित किया है जो काबिले निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्ट भीखाराम के द्वारा रास्ते के बाबत् कही गई बात को सही नहीं माना जा सकता। तहसीलदार ने मौका पर रास्ता मौजूद है या नहीं इस बाबत् किसी तरह की कोई जॉच नहीं की। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

रेस्पोडेन्ट के योग्य अभिभाषक श्री बी.आर. चौधरी ने अपनी बहस में यह कथन किया कि ग्राम शुभदण्ड के खसरा नं 161 का आपसी सहमति से बंटवारा दिनांक 24.01.2017 को पेश किया गया था जिसके साथ संलग्न नजरी नक्शे में प्रार्थी को गुमराह कर हस्ताक्षर करवाये गये। नजरी नक्शे में बताये गये रास्ते का मौके पर किसी प्रकार का अस्तित्व नहीं है। उक्त रास्ते की भूमि पर मकान बने हुए है और बंटवारा मौके अनुसार एवम संलग्न नजरी नक्शे अनुसार सही नहीं होने से रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जावे। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

हमनें उभय पक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवम पत्रावली का भी अध्ययन किया। इस प्रकरण में यह एक तथ्यात्मक स्थिति है कि ग्राम शुभदण्ड के खसरा नं 161 रकबा 33.16 के खातेदार भीखाराम, घेवरराम, बंशीलाल पिता रामाराम जाति मेघवाल की संयुक्त खातेदारी भूमि थी। उक्त संयुक्त खातेदारी

भूमि का विभाजन कराने हेतु खातेदार द्वारा तहसीलदार लूणी के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 (2) के अन्तर्गत इकरारनामा अनुसार विभाजन करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे तहसीलदार लूणी ने दिनांक 24.01.2017 को आपसी सहमति व रजामंदी के अनुसार सहमति दी गई। इस प्रकरण में यह भी एक तथ्यात्मक स्थिति है कि उक्त खातेदारों में से एक खातेदार भीखाराम द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 10.04.2017 को इस आश्य का प्रस्तुत किया कि आपसी सहमति बंटवारे को प्रार्थी को गुमराह कर करवाये गये हस्ताक्षरों एवम उसमें संलग्न नजरी नक्शा एवम मौका स्थिति में एक समरूपता नहीं होने से बंटवारा निरस्त करने का निवेदन किया। जिस पर तहसीलदार ने अपने आदेश क्रमांक–भू0अ0/विभाजन/2017/1144 दिनांक 12.04.2017 के द्वारा दिनांक 24.01.2017 स्वीकृत विभाजन प्रस्ताव को विड्रो करते हुए निरस्त किया गया का आदेश पारित किया गया।

राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 अध्याय 4 के अनुसार धारा 53 के उप बंधों को प्रभावी करने के लिए नियम 18 '' जोत के विभाजन के लिए करार फाइल करना–एक जो के विभाजन तथा लगाने के वितरण का सह–अभिधारियों द्वारा किया गया करार अधिकारित वाले तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा। तहसीलदार उस करार की शर्तो के अनुसार आदेश पारित करेगा और तद्नुसार जोत के विभाजन को प्रभावी (लागू) करेगा''

हमनें उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रेकर्ड का भी अध्ययन किया गया। इस प्रकरण में यह एक तथ्यात्मक स्थिति है कि प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूणी द्वारा रेस्पोडेन्ट को बिना सुने व बिना नोटिस दिये एकतरफा आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्वान्त के विपरित है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर इस प्रकार का कोई त्रुटि (error) का प्रमाण नहीं है, जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन आदेश को पुर्नवलोकन कर निरस्त करने की आवश्यकता हो

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.04.2017 एकतरफा एवम प्राकृतिक न्याय सिद्वान्त के विपरित होने से खारिज किया जाता है।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 29.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर